घोषणा विलेख
DEED OF DECLARATION

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र
INDIRA GANDHI NATIONAL CENTRE FOR ARTS

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

घोषणा विलेख

उन सभी को, जिन पर यह विलेख लागू होता है,

हम, अधोलिखित, भारत सरकार के संकल्प सं. एफ, 16–7/86– कला दिनांक 19 मार्च,1987 के द्वारा नामित स्वयं को संयुक्त रूप से तथा अलग–अलग रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के न्यासियों के रूप में गठित करते हैं :

1. श्री राजीव गाँधी
   7, रेस कोर्स रोड
   नई दिल्ली

2. श्री आर. वेंकटरमण
   6, मौलाना आजाद रोड
   नई दिल्ली

3. श्री पी.वी. नरसिम्हा राव
   9, मोतीलाल नेहरू मार्ग
   नई दिल्ली

4. श्री ब्रह्म दत्त
   वित्त राज्य मंत्री (पदेन)
   17, केनिंग लेन
   नई दिल्ली

5. श्रीमती पुपुल जयकर
   II, सफदरजंग रोड
   नई दिल्ली

6. श्री एच.वाई.शारदा प्रसाद
   सी–1/1, लोधी गार्डन्स
   नई दिल्ली

7. डा. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन
   डी–1/23, सत्य मार्ग
   नई दिल्ली

जिन्हें इसमें इसके बाद न्यासी कहा गया है, (इस अभिव्यक्ति में, जब तक किसी विषय या संदर्भ से असंगत या प्रतिकूल न हों, उनमें से उत्तरजीवी तथा इन विलेखों के समय न्यासी और उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक और अंतिम

उत्तरजीवी न्यासी के प्रशासक तथा उनके, उसके या उसकी समनुदेशित प्रतिनिधि शामिल है/हैं) एतद्द्वारा निम्न प्रकार घोषित और अभिव्यक्त करते हैं :

जबकि श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने ऐसे भारत के विजन के लिए जिया और संघर्षशील रहीं जिसका अपना अतीत कोई बोझ नहीं था बल्कि अपने विजन का विस्तार करने और चहुँमुखी साँस्कृतिक समृद्धि का एक जीवंत विरासत रखता था और उन्होंने कलाओं को उसके सभी मनमोहक स्वरूपों और विविधताओं में ऐसी समृद्धि के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में तथा मनुष्य के आंतरिक सृजनात्मक साधनों की अभिव्यक्ति के रूप में देखा था और उनके संवर्धन के लिए ईमानदारी से कार्य किया।

और जबकि भारत सरकार ने इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् आईजीएनसीए कहा गया है) की स्थापना की है और निर्णय लिया है कि आईजीएनसीए एक पूर्णतः स्वायत्तशासी निकाय होगा जिसकी शक्तियां, कर्तव्य और कार्य इस प्रकार होंगे;

और जबकि न्यासी इन विलेखों का प्रथम–न्यासी बनने के लिए तथा न्यास की ओर से न्यास निधि का स्वामित्व रखने के लिए जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पक्षकार होने के नाते साक्षी घोषित किया गया है तथा इस विलेख को निष्पादित करने के लिए सहमत हैं;

और जबकि भारत सरकार ने आगे न्यास के गठन के पश्चात् जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र आईजीएनसीए के लिए ब्याज तथा उसके अन्य लाभों के लिए प्रारंभिक कार्पस अनुदान देने का निर्णय लिया है;

और जबकि भारत सरकार ने आईजीएनसीए के कार्यालयों तथा कार्यकलापों का स्थायी रूप से प्रबंध करने के लिए इसमें आगे चलकर दी गई लिखित अनुसूची में वर्णित नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा से लगी हुई भूमि के लगभग 10.10 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर एक भवन परिसर के निर्माण का भी निर्णय लिया है;

और जबकि न्यासी एक चिरस्थायी न्यास की स्थापना तथा उसके पंजीयन हेतु कदम उठाने के लिए सहमत हैं और एतद्द्वारा संयुक्त रूप से तथा अलग–अलग यह वादा और घोषणा करते हैं कि भारत सरकार द्वारा दिया गया कार्पस अनुदान तथा किसी भी आकार या रूप में दिए गए अन्य सभी अनुदान, अंशदान तथा किराए, लाभ, ब्याज, लाभांश तथा उनसे प्राप्त आय, न्यास की ओर से

न्यासियों द्वारा इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित शक्तियों एवं उपबन्धों के अधीन, केवल आईजीएनसीए के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में लगाई जाएगी।

अब इसलिए न्यास का यह घोषणा विलेख निम्नांकित को प्रमाणित करता है :

नाम

1. न्यास का नाम "इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र न्यास" (जिसे इसके पश्चात् "आईजीएनसीए न्यास" कहा गया है) होगा।

पंजीकृत कार्यालय

2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में नई दिल्ली में स्थित होगा।

उद्देश्य

3. जिन उद्देश्यों के लिए आईजीएनसीए न्यास की स्थापना की गई है, वे इस प्रकार हैं–

   (i) कला, विशेष रूप से कला संबंधी मूल सामग्री, लिखित, मौखिक, श्रवण, श्रव्य–दृश्य, चित्रात्मक आदि सामग्री हेतु प्रमुख संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना।

   (ii) कला, मानविकी और सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्र में अनुसंधान, संदर्भ ग्रन्थों, शब्दावलियों, शब्दकोशों, विश्वकोशों एवं मूल ग्रन्थों के संबंध में अनुसंधान एवं प्रकाशन कार्यक्रम शुरू करना।

   (iii) इस क्षेत्र में सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन शुरू करने, उन्हें बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए जनजातीय तथा लोक कला संग्रह की स्थापना करना।

   (iv) अभिनय, प्रदर्शनियों, मल्टी–मीडिया प्रक्षेपों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं के माध्यम से वास्तुकला और साहित्य से लेकर संगीत, नृत्य, रंगमंच, मूर्तिकला, चित्रकला, फोटोग्राफी, फिल्म, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, कठपुतली कला, बुनाई, कढ़ाई आदि विविध कलाओं में सृजनात्मक एवं आलोचनात्मक संवाद के लिए एक मंच प्रदान करना।

(v) कलाओं के अनुसंधान कार्यक्रमों और प्रशासन संबंधी मॉडल विकसित करना जो भारतीय लोकाचार और वास्तविकता से संगत रूप से जुड़े हों।

(vi) कला तथा सांस्कृतिक परम्पराओं के विकास एवं अभिव्यक्ति हेतु भारत तथा विश्व के अन्य देशों के मध्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आदान–प्रदान एवं पारस्परिक संपर्क के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना तथा इस प्रयास के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सद्भाव एवं शांति को बढ़ावा देना।

(vii) विविध समुदायों, क्षेत्रों, सामाजिक स्तरों आदि के मध्य सांस्कृतिक आदान–प्रदान संबंधी जटिल ताने–बाने में निर्धारक और सक्रिय कारकों के सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अधिगम को सुगम बनाना एवं बढ़ावा देना तथा इस प्रयास द्वारा सहनशीलता, सहयोग, सौंदर्यात्मक समृद्धि आदि मानव कल्याण के आधारभूत मूल्यों को बढ़ावा देने में विभिन्न संस्कृतियों एवं परम्पराओं की भूमिका की परस्पर समझ हेतु एक मजबूत तर्कसंगत आधार तैयार करना।

(viii) एक ओर आधुनिक विज्ञान तथा दूसरी ओर कला, संस्कृति, पारम्परिक कौशलों एवं ज्ञान के बीच के बौद्धिक समझ संवाद–सेतु स्थापित करना।

(ix) अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति के केन्द्रों के साथ संपर्क विकसित करना तथा कला, मानविकी और सांस्कृतिक विरासत संबंधी अनुसंधान संचालित करने तथा उनकी मान्यता के लिए भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालयों तथा उच्च अध्ययन के अन्य अकादमिक संगठनों से सम्बद्ध होना।

3.1 पूर्वोल्लिखित उद्देश्यों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आईजीएनसीए के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित तात्कालिक उद्देश्य होंगे :

(i) उन भण्डारणों की पहचान करना और सर्वेक्षण करना जिनके पास विविध रूपों, मौखिक, श्रवण, दृश्यात्मक, ठोस रूप में भारतीय कला, मानविकी और सांस्कृतिक विरासत संबंधी मूल सामग्री की

महत्वपूर्ण संपत्तियों या संग्रहों का भंडार है। इनसे प्राप्त आंकड़ों और सूचना का विश्लेषण करना तथा इसे विद्वानों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, संस्थानों, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के नीति–निर्माताओं में प्रचारित करवाना तथा स्रोत सामग्री की रिप्रोग्राफिक प्रतियों को विभिन्न माध्यमों जैसे – माइक्रोफिल्म, माइक्रो–फिशे, डिस्क, टेप, प्रिंटआउट, फोटोग्राफ, स्लाइड, वीडियो फिल्म आदि में उपलब्ध करना;

(ii) आधुनिक इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाते हुए मूल सामग्री के बहुमाध्यमिक भण्डारण एवं पुनर्प्राप्ति के लिए अनुक्रमणिका, सूचीपत्र एवं प्रोसेसिंग करना;

(iii) मूल सामग्री का अन्य देशों के साथ आदान–प्रदान करना, विशेष रूप से उन देशों जिनके साथ भारत के घनिष्ठ ऐतिहासिक–सांस्कृतिक संबंध हैं तथा जिन देशों में समृद्ध जनजातीय और लोक कला–परम्पराओं वाली जनजातीय जनसंख्या है;

(vi) औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा हेतु कला एवं सांस्कृतिक परम्पराओं पर कार्यक्रम तैयार करने के लिए मौजूदा अभिकरणों से सहयोग एवं सहायता करना;

(v) भारतीय कला पर बहु–खण्डीय विश्वकोश प्रकाशित करने के लिए तथा उसके लिए मोनोग्राफ, मूलभूत संकल्पनाओं के कोश, मूल शास्त्रों का प्रकाशन आदि के रूप में आवश्यक प्रारंभिक कार्य हेतु एक दीर्घावधिक योजना प्रारम्भ करना;

(vi) जीवन–शैलियों, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, मिथक, वार्षिक चक्रों आदि के संदर्भ में विविध माध्यमों में लोक एवं जनजातीय कला प्रलेखन का क्रोड संग्रह प्रारंभ करना;

(vii) अभिनय तथा मल्टी–मीडिया प्रक्षेपों के माध्यम से कलाओं के मध्य सृजनात्मक अभिव्यक्ति, प्रदर्शन, परिचर्चा तथा विमर्श हेतु अवसर तथा मंच उपलब्ध कराना।

3.2 न्यास के उद्देश्यों की पूर्त्ति में प्रजाति, धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

न्यास की निधि का उपयोग

4. न्यास की आय तथा सम्पत्ति, चाहे वह कैसे भी प्राप्त की गई हो, केवल न्यास के उद्देश्यों की पूर्ती के लिए ही प्रयुक्त की जाएगी। न्यास की आय तथा सम्पत्ति के किसी भी भाग का न्यासियों, या कार्यकारिणी समिति के सदस्यों या उनमें से किसी एक या उनके माध्यम से दावा करने वाले किन्ही व्यक्तियों या उनमें से किसी एक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लाभांश बोनस के तरीके से या लाभ के किसी भी अन्य तरीके से भुगतान या अन्तरण नहीं किया जाएगा।

परंतु इसमें उल्लिखित कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को सद्भाव से उचित पारिश्रमिक का भुगतान करने से नहीं रोकेगी जिसने न्यास को किसी प्रकार की सेवा प्रदान की है या यात्रा के लिए, ठहरने के लिए या इसी प्रकार का कोई अन्य परिव्यय किया है और न ही उपर्युक्त ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा ऋण के रूप में दिए गए धन पर ब्याज के भुगतान या उसके द्वारा किराए पर दिए गए भवन के तर्कसंगत एवं उचित किराए का भुगतान करने को रोकेगी।

परिषाभाएं

5. इन विलेखों में, जब तक किसी संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो, निम्नलिखित शब्दों के वे अर्थ होंगे जो उनके लिए नियत किए गए हैं, नामत :

क) "न्यास" का अभिप्राय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र न्यास से होगा।

ख) "अध्यक्ष" का अभिप्राय इस विलेख के अनुच्छेद 8 के तहत नियुक्त न्यास के अध्यक्ष से होगा।

ग) "सदस्य सचिव" का अभिप्राय इस विलेख के अनुच्छेद 9 के तहत नियुक्त न्यास के सदस्य–सचिव से होगा।

घ) "कार्यकारिणी समिति" का अभिप्राय इस विलेख के अनुच्छेद 16 के तहत नियुक्त कार्यकारिणी समिति से होगा।

घटक संस्थाओं की स्थापना

6. इस विलेख में निर्धारित न्यास के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आईजीएनसीए समुचित प्रशासनिक, कानूनी और प्रबंधनात्मक व्यवस्थाओं वाली एक या एक से अधिक संस्थाओं, संगठनों, इकाइयों, प्रभागों या शाखाओं की स्थापना, संचालन और रख–रखाव कर सकता है तथा उनके क्रियान्वयन हेतु समय – समय पर आवश्यक निधियां उपलब्ध करवा सकता है।

उपर्युक्त प्रावधानों की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यासी आईजीएनसीए की घटक संस्थाओं की स्थापना उस तरीके या रूप में, जैसा कि उन्होंने निर्णय लिया हो, कर सकते हैं, नामत :

1. **इंदिरा गांधी कला निधि** : यह संस्था मुख्य रूप से न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप तथा उनकी पूर्ति के लिए कला, मानविकी और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा डाटा बैंक के विकास संबंधी कार्य करेगी।

2. **इंदिरा गांधी कला कोश** : यह संस्था मुख्य रूप से कला, मानविकी और भारत की सांस्कृतिक विरासत संबंधी मूल शास्त्र तथा मूल संकल्पनाओं से संबंधित अनुसंधान एवं प्रकाशन और भारतीय कला पर बहु–खण्डीय विश्वकोश की परियोजना पर ध्यान केंद्रित करेगी।

3. **इंदिरा गांधी जनपद सम्पदा** : यह संस्था बहु विषयक समन्वित दृष्टिकोण के जरिए प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण, जीवन चक्र तथा सामाजिक समारोहों के संदर्भ में जनजातीय एवं लोक कलाओं के सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान परियोजना से संबंधित कार्य करेगी।

4. **इंदिरा गांधी कला दर्शन** : आईजीएनसीए का यह घटक कलाओं के मध्य पारस्परिकता को सुगम बनाने के लिए कला एवं संस्कृति में सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सहभागिता और संचार हेतु आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक सार्थक मंच, वातावरण तथा अवसर उपलब्ध करवाएगा।

5. **इंदिरा गांधी सूत्रधार** : आईजीएनसीए का यह घटक न्यास की दूसरी विभिन्न घटक संस्थाओं के मध्य समुचित पारस्परिक संपर्क के माध्यम से प्रशासनिक, प्रबंधनात्मक तथा संगठनात्मक सहायता एवं सेवा उपलब्ध करवाएगा।

न्यासियों की संख्या तथा कार्यकाल

7. फिलहाल इस विलेख के समय न्यासियों की कुल संख्या सात से कम तथा इक्कीस से अधिक नहीं होगी। पहली बार सभी न्यासियों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

7.1 व्यक्ति, संस्थाएं, निगमित निकाय, संगठन या भारत में स्थित एजेंसियां न्यासी हो सकते हैं जो इस विलेख में निर्धारित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के उद्देश्यों के अनुसरण एवं प्राप्ति के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के साथ सम्बद्ध या सहयोगी हो सकते हैं।

न्यासियों के पद की अवधि तथा नये न्यासियों का नामांकन

7.2 इसमें उल्लिखित न्यास के सृजन की तारीख से प्रत्येक दस वर्ष की अवधि के समापन पर सेवा निवृत्त होने वाले न्यासियों की संख्या तथा इसके फलस्वरुप रिक्त हुए पदों को भरा जाना अधोलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा :

(i) न्यासियों की कुल संख्या के एक तिहाई न्यासी सेवा निवृत्त होंगे तथा इससे हुई रिक्तियों को भारत सरकार द्वारा नये न्यासियों के नामांकन से भरा जाएगा। यदि उस एक तिहाई में कोई अपूर्ण संख्या आती है तो उसे पूर्णांक एक बना दिया जाएगा।

(ii) न्यासियों की कुल संख्या के अन्य एक तिहाई न्यासी भी सेवा निवृत्त होंगे तथा इससे हुई रिक्तियों को सेवा निवृत्त होने वाले सदस्यों द्वारा उनकी सेवा निवृत्ति के कारण रिक्त हुए पद पर नये न्यासी के नामांकन से भरा जाएगा। निर्धारित तारीख तक ऐसा नामांकन न होने पर उस रिक्त पद विशेष को भरने के लिए भारत सरकार द्वारा एक नये न्यासी का नामांकन विधि मान्य होगा। यदि उस एक तिहाई में कोई अपूर्ण संख्या आती है तो उसको पूर्णांक एक बना दिया जाएगा।

7.3 प्रत्येक दस वर्ष की अवधि के समापन पर सेवा निवृत्त होने वाले न्यासी लॉटरी द्वारा, इसके अभाव में उनके मध्य आपस में हुए किसी समझौते के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

7.4 यदि कोई न्यासी अपनी पदावधि की सामान्य समाप्ति से पहले अपना पद छोड़ता है तो इस कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को अनुच्छेद 7.2 के खण्ड (i) या खण्ड (ii) में विनिर्ष्दिष्ट, जैसा भी हो, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा नये न्यासी के नामांकन द्वारा भरा जा सकता है, परन्तु इस प्रकार नामांकित नया न्यासी केवल उस शेष अवधि के लिए पद पर रहेगा जिस अवधि के लिए पद छोड़ने वाले न्यासी द्वारा सामान्यतः पद धारण किया गया होगा ।

न्यासी अध्यक्ष

8. इसमें उल्लिखित किसी बात के बावजूद न्यास का पहला अध्यक्ष, भारत सरकार द्वारा न्यासियों में से ही दस वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा तथा वह अगले दस वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होगा। तत्पश्चात् न्यास का अध्यक्ष न्यासियों द्वारा उनमें से ही ऐसी अवधि तथा ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जैसा न्यासियों द्वारा निर्णय लिया जाए।

8.1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में न्यासियों की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए किसी बैठक विशेष में उस समय उपस्थित सदस्य अपने में से ही उस बैठक के प्रयोजन हेतु अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

सदस्य–सचिव

9. भारत सरकार उन शर्तों, पारिश्रमिक तथा निबंधनों, जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं, के आधार पर किसी व्यक्ति को न्यास का सदस्य–सचिव नियुक्त करेगी। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को सभी आशयों एवं प्रयोजनों के लिए न्यासी माना जाएगा तथा अपनी नियुक्ति की अवधि में उसके पास एक न्यासी की सभी शक्तियां और प्राधिकार होंगे। न्यासियों की सेवा निवृत्ति के संबंध में इस विलेख के प्रावधान सदस्य–सचिव पर लागू नहीं होंगे।

न्यास की बैठक

10. न्यासी जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार बैठक बुला सकते हैं किन्तु प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक अवश्य होगी।

10.1 न्यासियों की बैठक की गणपूर्ति, यदि उस समय कोई स्थान रिक्त हों तो उन्हें सदस्यों की कुल संख्या में से घटाकर शेष संख्या की आधी होगी।

10.2 बैठकों में निर्णय सामान्यतया सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। यदि किसी मामले में यह आवश्यक हो जाता है कि किसी मामले में सदस्यों को मतदान करना पड़े तो उस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा।

10.3 न्यासी अपनी बैठकों और कार्यवाही के संचालन हेतु नियम निर्धारित कर सकते हैं।

10.4 न्यासी अपने सदस्यों में से किसी के रिक्त पद या इसके गठन में किसी कमी के बावजूद कार्य करेंगे। केवल किसी पद के रिक्त रहने या इसके गठन में किसी कमी के कारण न्यासियों का कोई कार्य या कार्यवाही अवैध नहीं होगी और न ही किसी तरीके से उस पर प्रश्न–चिह्न लगाया जाएगा।

दान तथा अंशदान

11. न्यासियों के पास उनके द्वारा अनुमोदित शर्तों पर किसी भी सरकार, निगमित निकाय या किसी भी अन्य व्यक्ति से चल या अचल संपत्ति का उपहार, नकद या वस्तु रूप में दान या अंशदान स्वीकार करने या भूमि तथा भवन का अनुदान और अन्य उपहार प्राप्त करनें की शक्ति तथा विवेकाधिकार होगा। परन्तु यह शर्त हमेशा रहेगी कि जिन शर्तों पर ऐसे उपहार, दान, अंशदान, या अनुदान स्वीकार किए जाएं, वे किसी भी प्रकार से आईजीएनसीए के उद्देश्यों से असंगत या प्रतिकूल नहीं होंगे।

आईजीएनसीए की सम्पत्ति का निपटारा

12. आईजीएनसीए की सभी चल एवं अचल सम्पत्तियों की अभिरक्षा, उपयोग तथा रख–रखाव हेतु न्यासी संयुक्त रूप से तथा अलग–अलग जिम्मेदार होंगे। आईजीएनसीए की कोई अचल संपत्ति (जैसे भूमि और भवन)

भारत सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना न्यास द्वारा न तो बेची जाएगी, न दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर दी जाएगी, न किराए पर दी जाएगी और न ही उनका अन्यथा निपटारा किया जाएगा।

न्यास की निधियां

13. उपहार, दान, अंशदान, अनुदान के रूप में प्राप्त सभी निधियां तथा आईजीएनसीए की अन्य सभी प्रकार की आय (भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रारंभिक कार्पस अनुदान सहित) और किसी भी प्रकार के कुछ भी निवेश, जिसमें से समय–समय पर पूर्णरूप से या उनका कोई एक भाग परिवर्तित या परिवर्धित किया गया हो या जैसा न्यासियों द्वारा अर्जित किए गए हों, या इन विलेखों के फलस्वरूप उनके हाथ में आए हों, या कानूनी प्रक्रिया द्वारा या इन विलेखों से संबंधित किसी अन्य प्रकार से किए गए हों (जिसे यहां "न्यास की निधियां" कहा गया है) संयुक्त रूप से न्यासियों में निहित होंगे।

न्यास की निधियों का निवेश

14. सभी राशियों का जो कि न्यास की निधियों का हिस्सा हों और जिनके निवेश की आवश्यकता हो, उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 43) की धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट या उस समय प्रवृत्त उसके किसी सांविधिक संशोधन या पुनर् अधिनियमन और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन निवेश के किसी एक या एक से अधिक रूपों या प्रकारों में न्यासियों के अनुमोदन से आईजीएनसीए के नाम निवेश या पुनर्निवेश किया जाएगा।

15. न्यासी ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंक या बैंकों, जिन्हें समय–समय पर निर्धारित किया गया हो, में 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के न्यासी" के नाम से एक खाता या खाते खोलेंगे तथा उन्हें चालू रखेंगे और किराए, आय, लाभ, लाभांश तथा अन्य सभी राशियां एवं आय जो न्यास की निधियों का हिस्सा हों, को तुरंत ऐसे किसी खाते या खातों में जमा कराएंगे। ऐसे खाते या खातों को ऐसी प्रक्रिया एवं तरीके के अनुसार संचालित किया जाएगा, जैसा कि न्यासियों के संकल्प द्वारा समय समय पर प्राधिकृत किया गया हो।

कार्यकारिणी समिति

16. आईजीएनसीए न्यास के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसके पास ऐसी शक्तियां और उसके ऐसे कार्य होंगे जो कि समय–समय पर इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, इसमें न्यास निधि में से न्यास के प्रबंधन एवं प्रशासन हेतु आवश्यक धन खर्च करने की शक्ति भी शामिल है।

16.1 कार्यकारिणी समिति में न्यास द्वारा नामित न्यूनतम पांच तथा अधिकतम सात सदस्य होंगे जिनमें से न्यास के सदस्य–सचिव सहित कम से कम चार न्यासी होंगे तथा शेष प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, शिक्षाविद्, प्रशासक, योजनाकार या कलाकार होंगे।

16.2 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष होगी।

16.3 कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों द्वारा उनमें से ही चुना जाएगा।

16.4 न्यास का सदस्य–सचिव कार्यकारिणी समिति के सदस्य–सचिव के रूप में कार्य करेगा।

16.5 इस अनुच्छेद में उल्लिखित किसी बात के बावजूद इन विलेखों के समय पहली कार्यकारिणी समिति वह होगी जिसे भारत सरकार द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1987 के उसके संकल्प सं. एफ 16–7/86–कला के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

16.6 सदस्य–सचिव को छोड़कर कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य लगातार दो पदावधियों से अधिक समय के लिए पद पर नहीं रहेगा ।

16.7 कार्यकारिणी समिति, इसके किसी सदस्य का पद रिक्त होने या इसके गठन में किसी प्रकार की कमी होने के बावजूद कार्य करेगी। केवल इसके सदस्यों में से कोई पद रिक्त रहने या इसके गठन में किसी कमी के कारण कार्यकारिणी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही किसी भी तरीके से न तो अवैध होगी और न उस पर कोई प्रश्न चिह्न लगाया जाएगा।

कार्यकारिणी समिति की शक्तियाँ और कार्य

17. कार्यकारिणी समिति, इन विलेखों के प्रावधानों और उन निदेशों के अधीन रहते हुए, जो समय–समय पर न्यासियों द्वारा दिए जाएंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रबंधन और प्रशासन के पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह करेगी और वे सभी कार्य, कृत्य और विषयों से संबंधित कार्यकलाप करेगी जो इसके उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं। पूर्वोक्त बातों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यकारिणी समिति को अधोलिखित प्राधिकार प्राप्त होंगे :

(क) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और उसके प्रभावी प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए विशिष्ट योजनाओं और कार्यक्रमों को समय–समय पर तैयार करना एवं उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ख) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र की आय और व्यय का वार्षिक बजट तैयार करना या उसको तैयार कराना तथा उसमें समुचित परिवर्तनों सहित, उसका अनुमोदन करना;

(ग) आईजीएनसीए की योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए कार्यकारिणी समिति के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन में स्थायी या नियमित आधार पर कोई समिति या व्यक्ति या एजेंट को पारिश्रमिक या बिना पारिश्रमिक आधार पर ऐसी शर्तों पर नियुक्त करना जैसा कार्यकारिणी समिति उचित समझे और अपनी शक्तियों की सीमा में रहते हुए सभी प्रकार के व्यय करने की शक्तियों सहित ऐसी सभी शक्तियों को उनमें निहित कर सकती है जैसा प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(घ) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से सभी विधिक कार्यवाहियों में मुकदमा दायर करना और प्रतिवाद करना एवं सुलझाना, समझौता करना या सभी मुकदमों, कार्रवाइयों और अन्य कार्यवाहियों का न्यायालय के अंदर या बाहर प्रशमन करना;

(ङ) न्यास निधियों से संबंधित सभी लेखाओं का समायोजन, निपटारा करना और सभी कार्य, कृत्य एवं विषयों से संबंधित कार्यकलाप (लेखा–परीक्षकों की नियुक्ति सहित) करना जो उसके लिए आवश्यक हैं;

(च) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से परिसंपत्तियों का क्रय करना, किराए पर लेना, पट्टे पर लेना और उनका निर्माण करना;

(छ) न्यासियों के पूर्व अनुमोदन के अधीन ऐसी शर्तों पर जैसा उपयुक्त समझा जाए, उधार पर धन लेना, खुले बाजार से या अन्य प्रकार से ऋण प्राप्त करना और इस प्रयोजन के लिए ऐसे ऋण और उस पर देय ब्याज के लिए प्रतिभूति देने हेतु करार करना, प्रत्याभूति देना तथा इनके संबंध में अन्य विलेख निष्पादित करना।

(ज) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र का हिस्सा बनी तत्समय मौजूदा अचल परिसंपत्तियों का इस प्रकार रख–रखाव करना, जिस प्रकार से उचित समझा जाए, इसमें उसके सुधार, मरम्मत या उसमें परिवर्तन और उस परिसंपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की पट्टे (लीज) की मंजूरी या उसका नवीकरण शामिल है;

(झ) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तत्समय हिस्सा बनी ऐसी किसी भी चल या अचल परिसंपत्ति को इस विलेख के अनुच्छेद 12 के प्रावधानों के अधीन बेचना, किसी को सौंपना या अन्य प्रकार से निपटान करना।

(ञ) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कुशल प्रशासन और प्रबंधन के लिए नियम और विनियम तथा उप–नियम तैयार करना;

(ट) न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से विधिक और अन्य करार या संविदा का निष्पादन करना;

(ठ) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के विभिन्न श्रेणियों और वर्गों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पारिश्रमिक और उन पर लागू होने वाली दरों का समय–समय पर निर्धारण करना;

(ड) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कर्मचारियों के हित के लिए भविष्य निधि और ऐसी कल्याणकारी निधियों की स्थापना करना।

(ढ) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अधिकारियों, कर्मचारियों और अनुसंधान अध्येताओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना, चाहे उसे खरीदा जाए या किराए पर, पट्टे पर लिया जाए या उनका निर्माण किया जाए और या भारत सरकार की सामान्य पूल आवासीय व्यवस्था से उपलब्ध कराया जाए।

(ण) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र और उसके कार्यालयों के नियमों, विनियमों, उप–नियमों और कार्यकारिणी समिति के निर्णयों के अनुरूप दिन–प्रतिदिन के कार्यों के संचालन को विनियमित करने के लिए सदस्य–सचिव अथवा अन्य अधिकारियों को सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करना।

(त) ऐसे सभी विधिमान्य कार्य, कृत्य और चीजें करना जो न्यास के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक, आनुषंगिक और सहायक हों।

कार्यकारिणी समिति की बैठकें

18. कार्यकारिणी समिति की बैठक, उतनी बार आयोजित की जाएगी जितनी आवश्यकता होगी। कार्यकारिणी समिति अपनी कार्यवाहियों के संचालन के लिए अपने विनियम बनाएगी और ऐसे विनियमों में समय–समय पर इस प्रकार संशोधन, परिवर्तन या पुनरीक्षण किया जाएगा जैसा समीचीन पाया जाए परन्तु इस प्रकार से बनाए गए विनियम इसमें उल्लिखित किसी प्रावधान या न्यासियों द्वारा तैयार किए गए नियमों, विनियमों, निर्णयों या निदेशों से अंसगत न हों।

कार्यकारिणी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना

19. कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की सूचना सदस्य–सचिव द्वारा समय–समय पर न्यासियों की आगामी बैठक में दी जाएगी।

19.1 कार्यकारिणी समिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उस वर्ष में 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं को तैयार करेगी या सदस्य–सचिव के माध्यम से तैयार कराएगी और इसको एक अर्हक संपरीक्षक, जो सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 (1949 के अधिनियम सं. 38) के तात्पर्य के तहत एक चार्टेड एकाउंटैंट होगा, द्वारा संपरीक्षित कराकर न्यासियों के अनुमोदन और अंगीकरण के लिए प्रस्तुत करेगी। अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखाओं का वितरण, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के सभी वर्तमान सदस्यों में किया जाएगा और आवश्यक प्रतियों की संख्या सहित भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।

न्यासियों के भत्ते

20. न्यासी तथा कार्यकारिणी के सदस्य न्यास की निधि से उन सभी खर्चों का भुगतान पाने या प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होंगे जो न्यास के कार्य निष्पादन अथवा इन विलेखों की शक्तियों के निष्पादन में उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से किए गए हों।

20.1 यदि किसी समय कोई न्यासी या कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के पूर्णकालिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करना अपेक्षित होता है या वह एक यथास्थिति विशेषज्ञ या व्यावसायिक या अध्येता या अन्य रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कोई विशेष सेवा प्रदान करता है, तो कार्यकारिणी समिति अपने विवेकानुसार, उसको ऐसा पारिश्रमिक या मानदेय या भत्ते का भुगतान कर सकती है जो समिति के विचार से उचित हो।

सदस्य–सचिव के अधिकार और कार्य

21. न्यास का सदस्य–सचिव, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्य कार्यपाल अधिकारी होगा/होगी। न्यासियों और/या कार्यकारिणी समिति के सभी निर्णयों का कार्यान्वयन सदस्य–सचिव द्वारा किया जाएगा या उसके माध्यम से कराया जाएगा। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सभी अधिकारी और कर्मचारी सदस्य–सचिव के दैनिक प्रशासनिक नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन होंगे। सदस्य–सचिव, न्यासियों और कार्यकारिणी समिति के निर्णयों को लागू करने के प्रयोजन से और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कार्यालयों के संचालन और प्रबंधन के लिए ऐसी सभी शक्तियों और प्राधिकारों का प्रयोग करेगा परन्तु ऐसी शक्तियों और प्राधिकारों का प्रयोग, न्यासियों और कार्यकारिणी समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों, निदेशों या आदेशों से असंगत नहीं होंगे या इनके उल्लंघन में नहीं होंगे।

आमेलन की शक्ति

22. कार्यकारिणी समिति, न्यासियों के अनुमोदन के अधीन, किसी स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों के दूसरे न्यास, संस्थान या चैरिटी न्यास जिसके उद्देश्य इन विलेखों के समान हों, को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आमेलन की अनुमति

और अनुज्ञा इस आशय और इरादे से दे सकती है कि ऐसा कोई भी दूसरा न्यास, संस्थान या चैरिटी न्यास, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अभिन्न अंग के रूप में समझा जाए, परंतु ऐसी शर्तें स्वीकार नहीं की जाएंगी जिनके कारण न्यास के नाम को बदलने की आवश्यकता पड़े या वे शर्तें, न्यास के उद्देश्यों से असंगत या उनके विपरीत हों।

क्षतिपूर्ति

23. न्यासियों से केवल ऐसे धन, स्टॉक, निधि, जमा और प्रतिभूति के लिए धन की वसूली की जाएगी जिसे वे वास्तव में प्राप्त करेंगे, भले ही उन्होंने स्थापित प्रथाओं के अनुरूप किसी रसीद पर हस्ताक्षर किए हो और वे केवल, अपनी जानबूझकर या स्वैच्छिक चूक या गलतियों के लिए जवाबदेह या उत्तरदायी होंगे और अन्य लोगों द्वारा की गई या उनमें से किसी एक के द्वारा की गई चूक या गलती के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।

23.1 कोई भी न्यासी केवल अपनी और अपने अभिरक्षण की किसी परिसंपत्ति के अतिरिक्त सह–न्यासियों द्वारा किए गए न्याय भंग के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

न्यास–विलेख में संशोधन

24. इस विलेख के उद्देश्य और अन्य शर्तों में संशोधन, परिवर्तन और आशोधन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्यों के तीन चौथाई उपस्थित न्यासियों के बहुमत से और एक विशेष उद्देश्य के लिए विशेष रूप से आयोजित बैठक में मतदान के आधार पर किया जाएगा। ऐसे संशोधन, परिवर्तन या आशोधन, भारत सरकार द्वारा पूर्व लिखित अनुमोदन के बाद ही लागू होंगे।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र की आवधिक समीक्षा

25. भारत के राष्ट्रपति, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के विजिटर होंगे। विजिटर, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसके घटक प्रभागों, संस्थानों, इकाइयों आदि की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए समय–समय पर समीक्षा समिति का गठन करेंगे और यह समिति उससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समीक्षा समिति की वे सिफारिशें/सुझाव, जो भारत सरकार द्वारा न्यास के परामर्श से स्वीकार कर लिए जाते हैं, न्यास के लिए बाध्यकारी होंगे।

भंग होना

26. न्यास के भंग होने के कारण सभी चल और अचल संपत्तियां भारत सरकार की हो जाएंगी।

न्यायालयों की अधिकारिता

27. इस विलेख के निर्वचन और ढाँचे के बारे में या न्यास के प्रशासन तथा इससे जुड़े मामलों के बारे में किसी प्रश्न पर निर्णय लेने हेतु संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में स्थित सक्षम न्यायालयों की अनन्य अधिकारिता होगी। ऐसे न्यायालयों के पास न्यास या न्यासियों द्वारा या उनके विरुद्ध या उनसे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई दावा या विवाद हो तो ऐसे दावों या विवादों पर विचार करना, सुनवाई करना तथा निर्णय लेना, किसी अन्य न्यायालय या न्यायालयों को अलग रखते हुए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली स्थित सक्षम न्यायालयों की अधिकारिता होगी।

इसके साक्ष्य स्वरूप हम, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के न्यासी, मार्च,1987 के इस दिन इन विलेख पर हस्ताक्षर करते हैं।

1. उपर्युक्त से संबंधित भारत सरकार के दिनांक उन्नीस मार्च, 1987 के संकल्प सं०16–7/86–कला।
2. उपर्युक्त से संबंधित अनुसूची।

श्री पी. वी. नरसिम्हाराव द्वारा स्वयं की ओर से एवं
निम्नलिखित की अटार्नी के रूप में हस्ताक्षरित

1. श्री राजीव गाँधी
2. श्री आर. वेंकटरमण
3. श्री ब्रह्मदत्त
4. श्रीमती पुपुल जयकर
5. श्री एच. वाईं शारदा प्रसाद
6. डॉ. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन

उपर्युक्त न्यास के न्यासी होने के नाते निम्नलिखित की उपस्थिति में

1. हस्ताक्षर : हस्ता./– आर. एस. चुघ
   नाम : (आर. एस. चुघ)
   पता : परामर्शदाता, कला विभाग

2. हस्ताक्षर : हस्ता./– वी. सी. तिवारी
   नाम : (वी. सी. तिवारी)
   पता : अवर सचिव, कला विभाग

अनुसूची

इंदिरा गाँ धी राष्ट्रीय कला केन्द्र भवन परिसर का निर्माण स्थल, जिसका परिमाप लगभग 10.10 हेक्टेयर है, नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा हरित के समानांतर में स्थित है; इसकी चौहद्दी में दक्षिणी तरफ सेंट्रल विस्टा हरित, पश्चिमी तरफ जनपथ, उत्तरी तरफ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड और पूर्वी तरफ मानसिंह रोड है।

फाइल सं० 8606–86–87
प्रमाणित किया जाता है कि 30/– रूपये
की पूर्ण स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांसफर ड्यूटी रूपये शून्य, कुल 30/– रूपये
(तीस रूपये मात्र) का
दिनांक 19.03.87 को भुगतान कर दिया गया।

(हस्ताक्षर) स्टाम्प संग्राहक
दिल्ली

दिनांक 24.03.87 को अतिरिक्त
पुस्तक सं. IV, खंड सं०1369,
पृष्ठ संख्या 42 से 60 पर
मेरे सामने बायें हाथ के निशान लिए गए हैं/लिया गया है।

(हस्ताक्षर) उप–रजिस्ट्रार
नई दिल्ली
24.03.87

(भारत के राजपत्र के भाग–1 खंड–1 में प्रकाशनार्थ)
सं.एफ. 16–7/86–कला
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(कला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च, 1987

संकल्प

भारत सरकार ने जीवन में कला की केंद्रीय भूमिका, जिसके प्रति स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी का अटूट विश्वास था, का प्रदर्शन करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों को शुरु करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कला विभाग, में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) की स्थापना की है। भारत सरकार ने आगे निर्णय लिया कि ''इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास'' नाम से इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र एक पूर्णतया स्वायत्तशासी न्यास होगा और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र का गठन करने के लिए तथा इस उद्देश्य हेतु सभी अपेक्षित विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अस्थायी रूप से तत्समय निम्नलिखित प्रथम न्यासी होंगे:

1. श्री राजीव गाँधी ..... न्यास के अध्यक्ष
   7, रेस कोर्स रोड
   नई दिल्ली – 110 001

2. श्री आर. वेंकटरमण
   6, मौलाना आजाद रोड
   नई दिल्ली – 110 001

3. श्री पी.वी नरसिम्हा रॉव
   9, मोतीलाल नेहरू मार्ग
   नई दिल्ली – 110 001

4. श्रीमती पुपुल जयकर
   11, सफदरजंग रोड
   नई दिल्ली – 110 011

5. श्री ब्रह्म दत्त
17, कैनिंग लेन
नई दिल्ली – 110 001

6. श्री एच.वाई. शारदा प्रसाद
सी–1/1, लोधी गार्डन
नई दिल्ली – 110 003

7. डॉ. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन ..... न्यास की सदस्य–सचिव
डी–1/23, सत्या मार्ग
नई दिल्ली – 110 021

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास की प्रथम कार्यकारिणी समिति में फिलहाल निम्नलिखित होंगे :

1. श्री पी.वी नरसिम्हा राव ..... अध्यक्ष
न्यास सदस्य
2. श्री ब्रह्म दत्त
न्यास सदस्य
3. श्री एच.वाई. शारदा प्रसाद
न्यास सदस्य
4. श्री आबिद हुसैन
ए बी–7, पंडारा रोड,
नई दिल्ली–110 003
5. श्री पी.सी. एलेक्जेंडर
पदिन्जरे थलक्कल
मावेलीकर, केरल
6. डॉ. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन
न्यास की सदस्य–सचिव

हस्ताक्षर/– (कपिला वात्स्यायन)
सचिव, भारत सरकार

आदेश : आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सम्प्रेषित की जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए यह प्रस्ताव भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

हस्ताक्षर/– (कपिला वात्स्यायन)
सचिव, भारत सरकार